बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक–08.01.2026 को अपराह्न 03:30 बजे पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण के संबंध में बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–   संचिका में अलग से संधारित।

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग की अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक में बिहार सुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, चीनी मिलों के मालिक एवं विभाग के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति बनी –

1. पेराई सत्र 2025–26 के लिए पिछले पेराई सत्र 2024–25 के लिए निधारित ईख मूल्य दर से उत्तम एवं सामान्य प्रभेद के गन्ना पर 15 रू०/क्विंटल तथा निम्न प्रभेद के गन्ना पर 20 रू०/क्विंटल की वृद्धि की गई, जो निम्नवत हैः–

उत्तम प्रभेद–	380.00 रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद–	360.00 रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद–	330.00 रूपये प्रति क्विंटल

2. चीनी मिलों द्वारा किये गये अनुरोध एवं चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर क्षेत्रीय विकास परिषद की कमीशन की दर को पूर्व पेराई सत्रों की भाँति चालू पेराई सत्र 2025–26 के लिए भी ईख मूल्य के दर का 1.80 प्रतिशत को घटाते हुए 0.20 प्रतिशत करने हेतु सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

3. माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त गत वर्ष की भाँति माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा के आलोक में सभी प्रभेदों पर 10रू०/क्विंटल की दर से अतिरिक्त ईख मूल्य भुगतान किया जायेगा।

4. माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि चीनी मिलों की सभी समस्याओं यथा तकनीकी, जल–जमाव एवं पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि अन्य समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण किया जायेगा। इस सन्दर्भ में विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–502/2016–पार्ट–371/ईखा० /पटना, दिनांक– 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, BSMA/सभी चीनी मिल के दखलकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–502/2016–पार्ट–371/ईखा० /पटना, दिनांक– 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–502/2016–पार्ट–371/ईखा० /पटना, दिनांक– 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–01–502/2016–पार्ट–371/ईखा० /पटना, दिनांक– 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

Proceeding-Deepak